संख्या- 1373/15-17-631151/89

प्रेषक,

श्री एल० एस० गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजूकेशन,
2/19 अनंत विहार अंसारी रोड,
दरियागंज,
नई दिल्ली ।

शिक्षा अनुभाग-17 दिनांक, लखनऊ, 4 मई, 1989

विषय:- शिलर इन्स्टीट्यूट गाजियाबाद को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के संबन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिलर इन्स्टीट्यूट, गाजियाबाद को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/ शर्तों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

।क। सामान्य प्रतिबन्ध

।1। विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

।2। विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान मेधावी और पिछड़े एवं निर्बल आय-वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायगा।

।3। संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायगा।

।4। संस्था के सभी अध्यापक/ अध्यापिकायें प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

।5। राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे, उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा ।

।6। विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायगा।

----2

(ग) विशिष्ट प्रतिबन्ध

(1) विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा।

(2) विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा-कक्ष दो वैकल्पिक विषय कक्ष, दो प्रयोगशाला कक्ष तथा चार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायगी ।

(3) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(4) विद्यालय का लेखा-जोखा निर्धारित प्रपत्रों/ पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(5) विद्यालय के अध्यापक/कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना लागू की जायगी।

2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(एल० एस० गौतम)
संयुक्त सचिव शिक्षा

संख्या- 111/15-17-89

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित :-

(1) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय, लखनऊ।
(2) निदेशक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र० लखनऊ ।
(3) प्रबन्धक, शिवालिक इन्स्टीट्यूट, गाजियाबाद।
(4) मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ
(5) जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।

आज्ञा से,

(एल० एस० गौतम)
संयुक्त सचिव शिक्षा ।